

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा. 2(1) सविरा/निशा/ब-2/स्था./2015

दिनांक 30.06.2015

आदेश

निर्देशानुसार निम्नांकित निरीक्षक (कार्यकारी/आडिट) का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामाने अंकित कार्यालय में "जनहित" में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स.	नाम निरीक्षक	पद	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नवीन पदस्थापन कार्यालय
1.	श्री अनिल गोयल	निरीक्षक (आडिट)	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, चित्तोडगढ	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, अजमेर
2.	श्रीमती संगीता असवाल	निरीक्षक (कार्यकारी)	क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, जयपुर	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण जयपुर
3.	श्रीमती अरुणा मीणा	निरीक्षक (कार्यकारी)	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जयपुर	क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, जयपुर
4.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	निरीक्षक (आडिट)	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, जैसलमेर	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, जोधपुर
5.	श्री अखिलेश देवल	निरीक्षक (आडिट)	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, दौसा
6.	श्री देवीदास बैरवा	निरीक्षक (कार्यकारी)	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, दौसा
7.	श्री जवाहर सिंह	निरीक्षक (आडिट)	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, गंगानगर	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, चूरु

8.	श्री रामेश्वर प्रसाद	निरीक्षक (कार्यकारी)	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक
9.	श्री रामनिवास मीणा	निरीक्षक (आडिट)	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, धौलपुर	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, भरतपुर

- 1 सभी कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के द्वारा स्वतः कार्यमुक्त समझे जायें एवं नवनियोजित स्थान पर उपस्थिति हेतु ज्वार्निंग टाईम का उपभोग नहीं करेंगे। कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त न करने वाले कार्यालयाध्यक्ष व कार्यमुक्त न होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 2 यदि कोई कार्मिक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु नियुक्त है तो ऐसे कार्मिक को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने या वैकल्पिक व्यवस्था होने के पश्चात ही इकाई रिटर्निंग आधिकारी की सहमति से कार्यमुक्त किया जावेगा।

- Sd/-
(संजय माथुर)

संयुक्त रजिस्ट्रार {प्रशासन}

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर
- 4 उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 5 मुख्य अंकेक्षक/संयुक्त मुख्य अंकेक्षक, प्रधान कार्यालय, जयपुर
- 6 निर्वाचन प्राधिकारी, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जयपुर / विशिष्ट उच्चार अधिकारी, जयपुर
- 7 अतिरिक्त रजिस्ट्रार/ उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
- 8 क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां,
- 9 सम्बन्धित श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा
- 10 गार्ड/निजी पत्रावली।

- Sd/-
(संजय माथुर)

संयुक्त रजिस्ट्रार {प्रशासन}